उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून की तृतीय बैठक दिनांक 21.07.2011 के कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की **तृतीय बैठक डॉ0 बी0एस0 बरफाल अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड** की अध्यक्षता में **जलागम प्रबन्ध निदेशालय इन्दिरानगर, देहरादून** के 'कान्फ्रेन्स हाल' में दिनांक 21.07.11 को सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों एवं विशेष आमंत्रियों की सूची संलग्न है। **सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून** के पत्रांक 17/जै0वि0बोर्ड/16–3 दिनांक 12.07.11 के द्वारा बैठक का **'एजेण्डा नोट'** सभी आमंत्रियों को पूर्व ही प्रेषित कर दिया गया था।

1. **एजेण्डा नं0–1 :– अध्यक्ष द्वारा बोर्ड के सदस्यों व विशिष्ट आमंत्रियों का स्वागत एवं बोर्ड की गतिविधियों से परिचित कराना।**

डॉ0 बी0एस0 बरफाल, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड ने बैठक में सभी आमंत्रियों का स्वागत करते हुए **बोर्ड** की गतिविधियों से उन्हें परिचित कराया। माह **मार्च 2011** में **बोर्ड** की संरचना का पुनर्गठन हुआ था। पुनर्गठित संरचना के पश्चात् यह **बोर्ड** की पहली बैठक थी। अतः उन्होंने विशेष रूप से **जैव विविधता अधिनियम–2002** व **जैव विविधता नियम–2004** तथा उसके अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी दी। **वर्ष 2012** में विश्व के 193 देशों की नई **दिल्ली** में होने वाले **कान्फ्रेन्स ऑफ पार्टीज (CoP-11)** की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इसकी अध्यक्षता का दायित्व आगामी **02 वर्षों** के लिए भारत को सौंपा जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि **उत्तराखण्ड जैव विविधता** के मामले में सबसे समृद्ध प्रदेश है। इसका संरक्षण व संवर्द्धन उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है।

2. **एजेण्डा नं0–2 :– उत्तरांचल जैव विविधता बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 13/09/2010 के कार्यवृत का अनुमोदन**

उत्तरांचल जैव विविधता बोर्ड की द्वितीय बैठक **डॉ बी0एस0 बरफाल, अध्यक्ष, उत्तरांचल जैव विविधता बोर्ड** की अध्यक्षता में **देहरादून** में **एफ0आर0डी0सी0** के सचिवालय स्थित सभाकक्ष में दिनांक 13/09/10 को सम्पन्न हुई थी। बैठक के कार्यवृत **पत्रांक 89/जै0वि0 बोर्ड दिनांक 16/09/10** के द्वारा सभी सम्बन्धित को प्रेषित किये गये थे। किसी भी सदस्य से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नही हुई। अतः बोर्ड द्वारा दिनांक 13/09/10 की द्वितीय बैठक के कार्यवृत का अनुमोदन किया गया।

3. **एजेण्डा नं0–3 :– उत्तरांचल जैव विविधता बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 13/09/10 के कार्यवृत के विभिन्न बिन्दु जिन पर कार्यवाही अपेक्षित थी, के सम्बन्ध में सदस्य–सचिव –उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा अवगत कराना ।**

(i) **उत्तराखण्ड शासन** की **अधिसूचना संख्या 256/X–3–2011–8(83)/2001 टी0सी0 दिनांक 22/03/11** द्वारा बोर्ड की संरचना को पुनर्गठित कर दिया है उसमें निहित कमियों से **सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड** द्वारा सदस्यों को

अवगत कराया गया। **बोर्ड** द्वारा **शासन** कमियों के निराकरण हेतु की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

(ii) **बोर्ड** द्वारा **उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड** की नियमावली शीघ्र अधिसूचित करवाने का **शासन** से अनुरोध किया गया **अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन** द्वारा प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।

(iii) **श्री ए0आर0 सिन्हा, अपर प्रमुख वन संरक्षक (कार्य योजना)** तत्कालीन **सदस्य–सचिव, उत्तरांचल जैव विविधता बोर्ड** बैठक में उपस्थित नहीं हुए। **बोर्ड** द्वारा यह अपेक्षा की गई कि **श्री ए0आर0 सिन्हा** आंकड़ों में भिन्नता के सम्बन्ध में शीघ्र ही स्थिति स्पष्ट करेंगे ताकि वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सके।

(iv) **बोर्ड** के **वित्तीय वर्ष 2010–11** में **शासन** द्वारा **उत्तरांचल जैव विविधता बोर्ड** को **रू0 50.00 लाख** की धनराशि अनुदान/सहायता के रूप में स्वीकृत की गई थी जिसके सापेक्ष **रू0 37.37 लाख** की धनराशि व्यय हुई। **शासन** द्वारा स्वीकृत धनराशि माह दिसम्बर 2010 में प्राप्त हुई। **बोर्ड** द्वारा इस बात पर संतोष व्यक्त किया गया कि तीन माह में 75 प्रतिशत के लगभग धनराशि व्यय की गई साथ ही **बोर्ड** द्वारा **वर्ष 2010–11** में व्यय की गई धनराशि का अनुमोदन करते हुए वर्ष 2010–11 के पुनरीक्षित अन्तिम बजट का भी अनुमोदन किया गया।

(v) **वित्तीय वर्ष 2010–11** में **रू0 156.00 लाख** की मांग के सापेक्ष केवल **रू0 50.00 लाख** की धनराशि आवंटित की गयी जिस कारण वर्ष 2010–11 में प्रस्तावित 02 स्टाफ कारों के सापेक्ष केवल **अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड** के प्रयोगार्थ 01 स्टाफ कार ही क्रय की गई। **बोर्ड** द्वारा इसका अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में बजट की उपलब्धता तथा आवश्यकता महसूस होने पर **बोर्ड** के **सदस्य–सचिव** के प्रयोगार्थ एक स्टाफ कार और क्रय कर ली जाए।

(vi) **सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड** द्वारा **बोर्ड** के कार्यों के संचालन हेतु **संविदा/बाह्य श्रोत** के आधार पर नियुक्त किये गये कार्मिकों का विवरण **बोर्ड** के समक्ष प्रस्तुत किया गया। **बोर्ड** द्वारा इसका अनुमोदन किया गया तथा भविष्य में आवश्यकता महसूस होने पर और स्टाफ **संविदा/बाह्य श्रोत** से नियुक्त करने पर भी सहमति व्यक्त की गई।

(vii) **अध्यक्ष, उत्तरांचल जैव विविधता बोर्ड** द्वारा स्वीकृत बजट के अन्तर्गत सभी प्राक्कलनों/कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अपने अधिकारों को **सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड** को प्रतिनिर्धारित करने एवं उन्हें **बोर्ड** का आहरण वितरण अधिकारी घोषित करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया साथ ही यह अपेक्षा भी की गई कि चूँकि **सदस्य–सचिव वन विभाग** के **मुख्य वन संरक्षक** के स्तर के अधिकारी हैं, अतः **वन विभाग** में **मुख्य वन संरक्षक** को जो

वित्तीय/प्रशासनिक/तकनीकी अधिकार प्राप्त हैं उस सीमा तक वे अधिकार उन्हें **बोर्ड** में भी प्राप्त होंगे।

(viii) **उत्तरांचल जैव विविधता बोर्ड** की पुनर्गठित संरचना में **बोर्ड** का नाम बदलकर **'उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड'** करने की अधिसूचना से **बोर्ड** के सभी सदस्यों को अवगत कराया गया।

4. <u>ऐजेण्डा नं0–4 :– जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के गठन हेतु किये जा रहे प्रयासों से बोर्ड के सदस्यों को अवगत करना।</u>

सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड ने अवगत कराया कि **वन विभाग, शहरी विकास तथा पंचायती राज** के सहयोग से अब तक निम्न प्रकार **जैव विविधता प्रबन्ध समितियों** का गठन किया जा चुका है –

वर्ष 2009–10– 30
वर्ष 2010–11 – 07
वर्ष 2011–12 – 90 (माह जुलाई, 2011 तक)

बोर्ड द्वारा वर्ष 2011–12 में गठित **जैव विविधता प्रबन्ध समितियों** पर संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही इस कार्य में तेजी लाने के प्रयास करने की भी सलाह दी गई।

<u>एजेण्डा नं0–5 :– जैव विविधता दस्तावेज बनाने हेतु की जा रही कार्यवाही से बोर्ड से सुझाव प्राप्त करना।</u>

सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड ने अवगत कराया कि **राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण** के नवीनतम निर्देशों के अनुसार प्रथम चरण में केवल **विकासखण्ड** स्तर पर ही **लोक जैव विविधता दस्तावेज़ (People's Biodiversity Register)** तैयार किये जाने हैं। **उत्तराखण्ड** में वर्तमान में **केवल 97 विकासखण्ड हैं।** इस प्रकार प्रथम चरण में **केवल 97 लोक जैव विविधता दस्तावेज़** तैयार किये जाने हैं जिस हेतु दिनांक 25.07.11 तक **अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EoI)** हेतु आवेदन मांगे गये हैं। तत्पश्चात् एक तकनीकी समिति का गठन कर **EOI** का परीक्षण करवाया जायेगा। तकनीकी समिति द्वारा लघू सूची (Short Listed) किये गये आवेदन कर्त्ताओं से वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है। जैव विविधता दस्तावेज बनाने का कार्य संस्थानों के चयन होने के उपरान्त ही प्रारम्भ हो पायेगा।

अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु निर्धारित किये गये आवेदन पत्र के आलेख का **बोर्ड** द्वारा अनुमोदन किया गया। **सदस्य–सचिव** ने यह भी अवगत कराया कि वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में केवल **12 जैव विविधता दस्तावेज** बनाने का कार्य ही हो पायेगा।

6. <u>ऐजेण्डा नं0–6 :– जैव विविधता विरासतीय स्थलों का चयन तथा उन्हें अधिसूचित करना</u>

सदस्य–सचिव ने अवगत कराया कि **डॉ0 चन्द्रसिंह नेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जन्तु विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़ द्वारा जैव विविधता के** महत्व

के निम्न दो विरासतीय स्थलों के लिए अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत किये थे जो कि **उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड** द्वारा अनुमोदित किये गये हैं :–

क्र0 सं0	प्रोजेक्ट का नाम	प्रस्तावित क्षेत्रों की संख्या	प्रोजेक्ट की लागत	अवमुक्त प्रथम किस्त
1.	Sacred forests within Reserve Forest	8 Sites	2.16 लाख	1.08 लाख
2.	Sacred forests outside Reserve Forest or Protected Areas	8 Sites	2.16 लाख	1.08 लाख

बोर्ड द्वारा उक्त दोनों प्रोजेक्ट्स का अनुमोदन किया गया साथ ही यह भी सुझाव दिया कि विरासतीय स्थलों के संरक्षण हेतु और प्रोजेक्ट भी प्राप्त किये जावें।

7. ऐजेण्डा नं0–7 :– बोर्ड की बैठक में विशेष आमंत्री के नामों का अनुमोदन

सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड ने अवगत कराया कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सहयोग प्राप्त करने हेतु विशेष आमंत्री (विशेषज्ञ) के 17 सदस्यों का एक पैनल तैयार किया गया है जिन्हें विभिन्न समितियों में विशेष आमंत्री के रूप में बुलाना प्रस्तावित है ताकि उनके ज्ञान का लाभ प्राप्त किया जा सके।

बोर्ड ने इन नामों का अनुमोदन किया तथा इस पैनल में और नाम भी डालने का सुझाव दिया। इसके लिए सदस्यों ने विषय विशेषज्ञों के नाम भेजने पर भी अपनी सहमति प्रकट की।

8. ऐजेण्डा नं0–8 :–वर्ष 2011–12 के लिए बजट का अनुमोदन

बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए **रू0 188.42 लाख (एक करोड़ अट्ठासी लाख बयालीस हजार)** के बजट प्रस्ताव पर **बोर्ड** द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। **शासन** से बजट के सापेक्ष आवश्यक धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराने का भी **बोर्ड** द्वारा अनुरोध किया गया।

9. ऐजेण्डा नं0–9 :– उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड का ढॉचा

सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा **बोर्ड** का प्रस्तावित प्रस्तुत किया गया तथा उसमें माननीय सदस्यों के विचार आमंत्रित किये गये। गहन विचार–विमर्श के उपरान्त माननीय सदस्यों द्वारा निम्न प्रस्ताव दिये गये –

1. अनुसंधान अधिकारी (क्षमता निर्माण एवं डाक्यूमेंटेशन), (परियोजना) तथा (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) ग्रेड वेतन रू0 4,600/– रू0 4,800/– तथा रू0 5,400/– के प्रस्तावित किये जायें।
2. प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ही लेखा का कार्य सम्पादित किया जायेगा। अतः लेखा अधिकारी का पद न सृजित किया जाय।
3. प्रोग्रामर सहायक रू0 4,600/– या रू0 4,800/– ग्रेड वेतन का प्रस्तावित किया जाये।
4. वैयक्तिक सहायक के केवल 02 पद (अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिव हेतु) प्रस्तावित किये जायें।
5. मिनिस्ट्रियल कार्मिक के पदों को प्रस्तावित न किये जायें। इसके स्थान पर कम्प्यूटर आपरेटर आवश्यकतानुसार बाह्य श्रोत से रखे जायें तथा उन्ही से मिनिस्ट्रियल कार्मिकों का काम लिया जाये।
6. कार्यालय सेवक कम से कम प्रस्तावित किये जायें।

7. चालक केवल 02 ही प्रस्तावित किये जायें।
8. लेखाकार (01 पद) प्रतिनियुक्ति या बाह्य श्रोत से तथा तकनीकी सहयोगी (05 पद) बाह्य श्रोत से रखने पर सहमति व्यक्त की गई

10. <u>ऐजेण्डा नं0–10 :– उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की वेबसाइट तथा लोगो।</u>

सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड ने अवगत कराया कि **National Informatic Center (NIC)** के सहयोग से **उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड** की वेबसाईट **www.sbb.uk.gov.in** बनवाई जा चुकी है। **'छित्कू' (Chhitkoo) (गैर सरकारी संस्थान) उत्तराखण्ड** के सहयोग से **उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड** के **'लोगो'** का डिजाइन तैयार करवाया गया। इसमें **उत्तराखण्ड** के प्रतीक चिन्ह **मोनाल, कस्तूरीमृग, ब्रहमकमल तथा बुरांश** को समाविष्ट किया गया है।

11. <u>एजेण्डा नं0–11 :– अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु –</u>

विभिन्न सदस्यों द्वारा निम्न सुझाव दिये गये :–

1. **डॉ0 डी0के0 सिंह, सह प्राध्यापक, प्रतिनिधि गो0ब0पं0 कृषि एवं प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, पन्तनगर** के द्वारा सुझाव दिया गया कि **बोर्ड** के कार्यों के संचालन हेतु पहले कम से कम स्टाफ रखा जाय और कार्यों में वृद्धि होने पर स्टाफ की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जाय। वैज्ञानिकों का ग्रेड वेतन, **भारत सरकार** में अनुमन्य ग्रेड वेतन के समतुल्य प्रस्तावित किया जाय। **लेखा अधिकारी** का पद प्रस्तावित न किया जाय तथा **प्रशासनिक अधिकारी** से ही यह कार्य लिया जाय। मिनिस्ट्रीरियल कार्मिकों के स्थान पर **कम्प्यूटर आपरेटर** लिये जायें। **वैयक्तिक सहायक** भी यथा प्रस्तावित 03 के स्थान पर केवल **02** ही प्रस्तावित किये जायें।
2. **डॉ0 के0 चन्द्रशेखर, वैज्ञानिक गो0ब0पं0 हिमालयन पर्यावरण विकास संस्थान, कोसी कटारमल** ने सुझाव दिया कि विरासतीय स्थलों के चयन हेतु **ZSI, FSI, WII जी0बी0 पन्त कृषि विश्वविद्यालय** आदि संस्थानों के वैज्ञानिकों से भी प्रोजेक्ट प्राप्त किये जायें।
3. **डॉ0 एच0सी0 पाण्डेय, वैज्ञानिक–डी, प्रतिनिधि संयुक्त निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून** ने सुझाव दिया कि विशेषज्ञ आमंत्री की सूची में विभिन्न संस्थानों से और विशेषज्ञों की सूची प्राप्त कर उन्हें भी पैनल में रखा जाय। ग्राम स्तर पर **जैव विविधता प्रबन्ध समितियों** के गठन में तेजी लाने हेतु बैठकों का आयोजन कर इसके लिए ग्राम प्रधानों को प्रोत्साहित किया जाय।

अध्यक्ष, उत्तरांचल जैव विविधता बोर्ड, देहरादून के धन्यवाद के साथ बैठक का समापन हुआ।

06.08.2011

(मोनिष मल्लिक)
सदस्य–सचिव
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून।

अनुमोदित

(डॉ0 बी0एस0 बरफाल) 6.8.2011
अध्यक्ष
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून।